प्रपत्र –5

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी (आर.ए.एस.) प्राथमिक डिक्री

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कमलाराम पुत्र भानाराम जाति भील निवासी जूना पतरासर तहसील व जिला बाड़मेर।		1 सुगाराम 2 सगताराम पिसरान भानाराम 3 दीपाराम पुत्र भानाराम के कायम मुकाम 3/1 औकारराम पुत्र दीपाराम के कायम मुकाम 3/1/1 दिनेश 3/1/2 हुकमाराम 3/1/3 अन्नाराम 3/1/4 भवानी पिसरान औकारराम 3/1/5 सायती पत्नी औकारराम प्रतिवादी संख्या 3/1/1 से 3/1/4 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सायती पत्नी औकारराम 3/2 तोगाराम पुत्र दीपाराम के कायम मुकाम 3/2/1 भरत कुमार 3/2/2 विक्रम कुमार 3/2/3 पूजा पिसरान तोगाराम 3/2/4 धापूदेवी पत्नी तोगाराम प्रतिवादी संख्या 3/2/1 से 3/2/3 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता धापूदेवी पत्नी तोगाराम 3/3 उतमाराम 3/4 पवन 3/5 देराजराम पिसरान दीपाराम 4 चनणाराम पुत्र भानाराम 5 हसाराम पुत्र अजबाराम 6 धाई पत्नी आम्बाराम जाति भील निवासी जूना पतरासर तहसील व जिला बाड़मेर 7 शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा बाड़मेर 8 तहसीलदार बाड़मेर।

दावा बाबत् 88, 53 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 49/2022

निर्णय दिनांक :– 14/08/23

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 05 व वकील प्रतिवादी संख्या 07 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14/08/23 को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि:–

वादी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 05 का जवाब दावा अनुसार प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा जुना पतरासर पटवार हल्का बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 371 रकबा 122.00 बीघा भूमि में वादी का 1/15 हिस्सा खातेदारी मे घोषित किया जाकर मौजा जुना पतरासर पटवार हल्का बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 371 रकबा 122.00 बीघा भूमि में वादी का 1/15 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड नियम 18 से 21 की पालना करते हुए स्वंय मौके पर उपस्थित होकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नवीनतम निर्देशों की पालना करते हुए पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। कमीश्नर शुल्क रू. 1500/– निर्धारित की जाती है जो वादीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख 14/08/23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(समदरसिंह भाटी)
पीठासन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.02.12 10:50:50 IST
Reason: SelfAttested

वाद का खर्चा

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये प्र प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड़	